jktdh; egkfo|ky; /kel'kkyk] ftyk dkxMk] fgekpy izns'k dh Nk= fuf/k ys[kkvksa dk vads{k.k ,oa fujh{k.k izfrosnuA

vads{k.k vof/k 4@2006 ls 3@2010

Hkkx&,d

1- <u>izLrkouk</u> %&

अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नलिखित प्रधानाचार्य ने आहरण एवं वितरण अधिकारी के रूप में कार्य किया :–

Øe la[;k	iz/kkukpk;Z dk uke	vof/k
1	डा0 नरेन्द्र अवस्थी	12.02.2005 से 28.08.2006 तक
2	डा0 ललित मोहन शर्मा	28.08.2006 से 21.07.2008 तक
3	डा0 नरेन्द्र अवस्थी	21.07.2008 से 02.03.2010 तक
4	डा0 भुवन शर्मा (Officiating)	02.03.2010 से 31.03.2010 तक

2 <u>laLFkk dh xr rhu o"kksa dk vk;@O;; fooj.k fuEu izdkj ls gS</u> %&

o"kZ	vk;	O;;	vUrj
2007–08	31,91,637.00	38,81,282.36	(–)6,89,645.36
2008–09	30,80,044.00	53,13,291.00	(–)22,33,247.00
2009–10	31,50,665.00	38,36,317.00	(–)6,85,652.00

3 <u>xr vads{k.k izfrosnu</u> %&

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के अनिर्णीत पड़े पैरों के निपटारे हेतु संस्था द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रहीं है। प्रत्येक अंकेक्षण के उपरान्त इन पैरों की संख्या में बढ़ौतरी हो रही है, जो सन्तोष जनक नहीं हैं। अतः समस्त अंकेक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनिर्णीत पड़े पैरों के निपटारे हेतु तुरन्त आवष्यक पग उठाये जाएं व उत्तर सटिप्पण रूप में शीघ्र इस विभाग को प्रेषित किए जाए, ताकि अनिर्णीत पड़े पैरों का निपटारा

किया जा सके। अतः संस्थाध्यक्ष से पुनः आग्रह है कि वह व्यक्तिगत रूचि लेकर इस प्रकरण में समुचित कार्रवाई हेतु प्रयास करें। विभिन्न अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों के निपटारे हेतु लम्बित पैरों की स्थिति निम्न प्रकार से है :–

¼d½ ys[kk ijh{kk izfrosnu vof/k 7@55 ls 6@56 ½&

1	पैरा 8	अनिर्णीत

¼[k½ ys[kk ijh{kk izfrosnu vof/k 7@56 ls 5@58 ½&

1	पैरा 6	अनिर्णीत
2	पैरा 8(1)	अनिर्णीत

¼x½ ys[kk ijh{kk izfrosnu vof/k 6@58 ls 6@59 ½&

1	पैरा 4	अनिर्णीत
2	पैरा 5(2)	अनिर्णीत

¼?k½ lgk;d ijh{kd dk fnukad 25-08-1961 dk fujh{k.k izfrosnu ½&

1	पैरा 1(4)	अनिर्णीत
2	पैरा 1(6)	अनिर्णीत
3	पैरा 1(16)	अनिर्णीत
4	पैरा 1(20)	अनिर्णीत
5	पैरा 1(21)	अनिर्णीत

¼³½ ys[kk ijh{kk izfrosnu vof/k 7@59 ls 2@62 ½&

1	पैरा 3	अनिर्णीत

2	पैरा 4(1)	अनिर्णीत
3	पैरा 4(2)	अनिर्णीत
4	पैरा 5(4)	अनिर्णीत
5	पैरा 6(2)	अनिर्णीत
6	पैरा 8	अनिर्णीत
7	पैरा 9(1)	अनिर्णीत
8	पैरा 9(2)	अनिर्णीत
9	पैरा 9(3)	अनिर्णीत
10	पैरा 9(4)	अनिर्णीत
11	पैरा 10	अनिर्णीत

¼p½ y[kk ijh{kk ifronu vof/k 3@62 ls 9@69 ½&

1	पैरा 4(2)	अनिर्णीत
2	पैरा 4(बी)	अनिर्णीत
3	पैरा 5(1, 2)	अनिर्णीत
4	पैरा 6	अनिर्णीत
5	पैरा 6(ए)(1)	अनिर्णीत
6	पैरा 6(ए)(7)	अनिर्णीत
7	पैरा 6(ए)(8)	अनिर्णीत
8	पैरा 6(ए)(9)	अनिर्णीत

9	पैरा 6(डी)(1)	अनिर्णीत
10	पैरा 6(डी)(2)(1)	अनिर्णीत
11	पैरा 6(डी)(3, 4)	अनिर्णीत
12	पैरा 7	अनिर्णीत
13	पैरा 7(2, 3)	अनिर्णीत
14	पैरा 9	अनिर्णीत
15	पैरा 11	अनिर्णीत
16	पैरा 12	अनिर्णीत
17	पैरा 12(बी)	अनिर्णीत
18	पैरा 13(3)	अनिर्णीत

¼N½ y[kk ijh{kk ifronu vof/k 10@69 l 6@73 %&

1	पैरा 4	अनिर्णीत
2	पैरा 5	अनिर्णीत
3	पैरा 6(1, 2)	अनिर्णीत
4	पैरा 7(2)	अनिर्णीत
5	पैरा 7(ए)(4)	अनिर्णीत
6	पैरा 7(बी)	अनिर्णीत
7	पैरा 7(सी)	अनिर्णीत
8	पैरा 7(डी)(2)	अनिर्णीत

9	पैरा 7(ए)	अनिर्णीत
10	पैरा 8(ए)	अनिर्णीत
11	पैरा 8(ई)	अनिर्णीत
12	पैरा 9(ए)	अनिर्णीत
13	पैरा 9(बी)(1 से 5)	अनिर्णीत
14	पैरा 9(सी)(डी)	अनिर्णीत
15	पैरा 9(ई से एल)	अनिर्णीत
16	पैरा 9(एम)	अनिर्णीत
17	पैरा 9(पी)(4)	अनिर्णीत
18	पैरा 9(क्यू)(3 से 5)	अनिर्णीत
19	पैरा 9(एस से टी)	अनिर्णीत
20	पैरा 10(ए व बी)	अनिर्णीत
21	पैरा 11(ए)	अनिर्णीत
22	पैरा 11(1, से 3)	अनिर्णीत
23	पैरा 11(बी, सी)	अनिर्णीत
24	पैरा 12(ए, बी, सी, डी)	अनिर्णीत
25	पैरा 13(ए, बी)	अनिर्णीत
26	पैरा 14(ए, बी)	अनिर्णीत
27	पैरा 15(ए, सी, एफ)	अनिर्णीत

28	पैरा 16(ए, सी)	अनिर्णीत
29	पैरा 7(डी)(4)	अनिर्णीत
30	पैरा 7(डी)	अनिर्णीत
31	पैरा 7(जी)(2)	अनिर्णीत
32	पैरा 7(एच)	अनिर्णीत
33	पैरा 7(एच)(2)	अनिर्णीत
34	पैरा 8	अनिर्णीत
35	पैरा 8(2)	अनिर्णीत
36	पैरा 9(1)	अनिर्णीत
37	पैरा 9(2 से 7)	अनिर्णीत
38	पैरा 10(ए, ई)	अनिर्णीत
39	पैरा 11	अनिर्णीत
40	पैरा 12	अनिर्णीत
41	पैरा 12(2)	अनिर्णीत
42	पैरा 13(सी)(1)	अनिर्णीत
43	पैरा 13(सी)(2, 3)	अनिर्णीत
44	पैरा 14(ए से ई)	अनिर्णीत
45	पैरा 15(1 व 2)	अनिर्णीत
46	पैरा 16	अनिर्णीत
47	पैरा 16(4)	अनिर्णीत

¼t½ ys[kk ijh{kk ifrosnu vof/k 7@73 ls 2@76 ½&

1	पैरा 5(ए,सी,डी)	अनिर्णीत
2	पैरा 6(ए,सी)	अनिर्णीत
3	पैरा 17	अनिर्णीत
4	पैरा 18	अनिर्णीत
5	पैरा 19(ए से सी)	अनिर्णीत
6	पैरा 19(ई)	अनिर्णीत

¼>½ ys[kk ijh{kk ifrosnu vof/k 3@76 ls 3@81 ½&

1	पैरा 4(ए,बी,डी)	अनिर्णीत
2	पैरा 5	अनिर्णीत
3	पैरा 6	अनिर्णीत
4	पैरा 7(ए,सी,डी)	अनिर्णीत
5	पैरा 8(बी)	अनिर्णीत
6	पैरा 9	अनिर्णीत
7	पैरा 10(ए से ई)	अनिर्णीत
8	पैरा 11	अनिर्णीत
9	पैरा 12	अनिर्णीत
10	पैरा 13(ए से डी)	अनिर्णीत
11	पैरा 14	अनिर्णीत

12	पैरा 15	अनिर्णीत
13	पैरा 16 (ए)	अनिर्णीत
14	पैरा 18	अनिर्णीत
15	पैरा 19(सी व डी)	अनिर्णीत
16	पैरा 20	अनिर्णीत
17	पैरा 21(बी)	अनिर्णीत
18	पैरा 22(बी)	अनिर्णीत
19	पैरा 23(ए से सी)	अनिर्णीत
20	पैरा 24 से 27	अनिर्णीत
21	पैरा 28(ए,सी,डी)	अनिर्णीत
22	पैरा 29	अनिर्णीत
23	पैरा 31(ए,सी,डी)	अनिर्णीत
24	पैरा 3(1 से 2)	अनिर्णीत

¼¥½ Nk= lgk;rk fuf/k dk ys[kk ijh{kk izfrosnu vof/k 7@73 ls 2@76 %&

1	पैरा 21(सी)	अनिर्णीत
2	पैरा 22	अनिर्णीत
3	पैरा 23	अनिर्णीत

¼V½ lk;dkyhu egkfo|ky; ys[kk ijh{kk izfrosnu vof/k 3@76 ls 3@81 %&

1	पैरा 4	अनिर्णीत

¼B½ Nk= lgk;rk fuf/k ys[kk ijh{kk izfrosnu vof/k 3@76 ls 3@81 ½&

1	पैरा 3(बी)	अनिर्णीत
2	पैरा 5	अनिर्णीत

¼M½ Jh ch0,y Fkkij] lgk;d ijh{kd dk 27-6-83 dk fujh{k.k izfrosnu ½&

1	पैरा 2	अनिर्णीत
2	पैरा 4	अनिर्णीत
3	पैरा 5	अनिर्णीत

¼<½ ys[kk ijh{kk izfrosnu vof/k 4@81 ls 3@89 ½&

1	पैरा 5(1 व 2)	अनिर्णीत
2	पैरा 6(1 व 3)	अनिर्णीत
3	पैरा 7	अनिर्णीत
4	पैरा 8(2)	अनिर्णीत
5	पैरा 9(1)	अनिर्णीत
6	पैरा 9(3)(ए व बी)	अनिर्णीत
7	पैरा 9(4)	अनिर्णीत
8	पैरा 9(5)(क,ख)	अनिर्णीत
9	पैरा 9(6)	अनिर्णीत
10	पैरा 9(7)	अनिर्णीत

11	पैरा 9(8)	अनिर्णीत
12	पैरा 9(9 से 17)	अनिर्णीत
13	पैरा 10(1,2)	अनिर्णीत
14	पैरा 11	अनिर्णीत
15	पैरा 12	अनिर्णीत
16	पैरा 13(1,2)	अनिर्णीत
17	पैरा 14	अनिर्णीत
18	पैरा 15	अनिर्णीत
19	पैरा 16(1 से 4)	अनिर्णीत
20	पैरा 17(1 से 5)	अनिर्णीत
21	पैरा 18	अनिर्णीत
22	पैरा 19(1 से 4)	अनिर्णीत
23	पैरा 20(1 से 6)	अनिर्णीत

¼.k½ ys[kk ijh{kk ifrosnu vof/k 4@89 ls 3@92 ½&

1	पैरा 4(ख,ग,घ)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान वित्तीय स्थिति में दर्षाई गई है।)
2	पैरा 6 से 8	अनिर्णीत	
3	पैरा 13 से 14	अनिर्णीत	
4	पैरा 15	निर्णीत	(अनुपालना की जांच उपरान्त)
5	पैरा 15(क,ख व ग)	निर्णीत	(अनुपालना की जांच उपरान्त)

6	पैरा 16(क,ख व ग)	निर्णीत	(अनुपालना की जांच उपरान्त)
7	पैरा 18	अनिर्णीत	
8	पैरा 19(क,घ व ङ)	अनिर्णीत	
9	पैरा 20	निर्णीत	(अनुपालना की जांच उपरान्त)
10	पैरा 20(क,ख,ग,घ)	निर्णीत	(अनुपालना की जांच उपरान्त)
11	पैरा 21(क,ग,घ,ङ)	निर्णीत	(अनुपालना की जांच उपरान्त)
12	पैरा 22(क)	निर्णीत	
13	पैरा 22(क)(1)	निर्णीत	
14	पैरा 22(क)(2)	निर्णीत	
15	पैरा 22(क)(3)	निर्णीत	
16	पैरा 22(ख,ग,ङ)	अनिर्णीत	
17	पैरा 23(क)(1)	अनिर्णीत	
18	पैरा 23(क)(2)	निर्णीत	
19	पैरा 23(ख,ग)	अनिर्णीत	
20	पैरा 24	निर्णीत	
21	पैरा 24(क,ख)	अनिर्णीत	
22	पैरा 25 व 26	निर्णीत	
23	पैरा 26(1 से 4)	अनिर्णीत	
24	पैरा 27	निर्णीत	(अनुपालना की जांच पर)

25	पैरा 30 व 31	निर्णीत	(अनुपालना की जांच पर)
26	पैरा 32	निर्णीत	
27	पैरा 33(क,ख)	निर्णीत	
28	पैरा 34(ङ,च)	अनिर्णीत	
29	पैरा 35	निर्णीत	(अनुपालना की जांच पर)
30	पैरा 36(क,ख,ग)	अनिर्णीत	
31	पैरा 37(ख,ग,घ)	अनिर्णीत	

¼r½ y[kk ijh{kk izfrosnu vof/k 4@92 ls 3@98 ½&

1	पैरा 4	अनिर्णीत	
2	पैरा 9	अनिर्णीत	
3	पैरा 12	अनिर्णीत	
4	पैरा 13	अनिर्णीत	
5	पैरा 15	अनिर्णीत	
6	पैरा 16	आंषिक निर्णीत	24151, 24235, 24160, 7/92, 169159, 10197301, 3/93 213490, 202001, 212151, 3/94 212300, 144801, 3/95 उपरोक्त की जांच की जानी शेष है।
7	पैरा 17	अनिर्णीत	
8	पैरा 19	अनिर्णीत	
9	पैरा 20	अनिर्णीत	
10	पैरा 21	अनिर्णीत	

11	पैरा 22	अनिर्णीत
12	पैरा 23	अनिर्णीत
13	पैरा 25	अनिर्णीत
14	पैरा 26	अनिर्णीत
15	पैरा 27	अनिर्णीत

¼Fk½ xr vads{k.k vkifÙk foojf.kdk,a %&

xr vads{k.k vkifÙk foojf.kdkvksa esa lfEefyr vkifÙk;ksa dh vfu.khZr en fuEu izdkj ls gS %&

	vof/k	en la[;k
1	7/55 से 6/56	5,10(आंषिक), 15,24 व 27
2	7/56 से 6/57	1 व 2 (आंषिक), 3 व 4(आंषिक), 10,16,17
3	7/57 से 5/58	9, 10, 11, 13, 20 व 21
4	6/58 से 6/59	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आंषिक, (12) आंषिक, (13 से 18, 20, 22, 24, 25, 26, से 30)
5	7/59 से 6/60	अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया ।
6	7/60 से 2/62	अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया ।
7	3/62 से 9/69	1 से 43, 45 से 48, 51, 54 से 61, 63 (2, 4 व 5) 64, 67 (आंषिक) 68 से 70, 72, 73, 74(जी,एच), 75 (7, 8, 9, 11, 12 व 14) तथा 76 से 168
8	10/69 से 6/73	3, 4, 13, 14, 16, 18, 24 से 29, 31 से 36, 42, 44, 47 से 56, 61(2), 62(4), 65 से 73, 74(4), 79, 80 से 90, 91(4)(2), 92, 94, 96 से 101
9	7/73 से 2/76	3, 4,10, 11, 14, 15, 16(2), 17, 22, 24(बी), 24(डी), 26(बी), 26(डी), 27(आंषिक), 28, 29(आंषिक), 30, 31(आंषिक)

¼n½ ys[kk ijh{kk izfrosnu vof/k 4@98 ls 2@2001 %&

1	पैरा 4(क,ख)	अनिर्णीत
2	पैरा 4(ग)(1 से 5)	अनिर्णीत
3	पैरा 5(क,ख,ग,घ)	अनिर्णीत
4	पैरा 6(क,ख,ग,घ,ङ)	अनिर्णीत
5	पैरा 7	अनिर्णीत
6	पैरा 8	अनिर्णीत
7	पैरा 9	अनिर्णीत
8	पैरा 10	अनिर्णीत
9	पैरा 11(क,ख,ग,घ,ङ)	अनिर्णीत
10	पैरा 11(छ)	अनिर्णीत
11	पैरा 12(क,ख,ग)	अनिर्णीत
12	पैरा 15(क,ग,घ)	अनिर्णीत
13	पैरा 17(क)	आंषिक अनिर्णीत (क्योंकि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के कलैण्डर के नियम 42 के अर्न्तगत क्रमांक 3,5 से 8,10,16,19 तथा 22 में अंकित व्यय मिश्रित निधि पर उचित प्रभार बनता है। अतः इन क्रमाकों से सम्बन्धित ऑडिट पैरों को समाप्त किया जाता है। 1,2,4,9,11 से 15,17,18,20,21 में वर्णित अनियमित व्यय को सक्षम अधिकारी से शीघ्र नियमित करवाया जाए, अन्यथा दोषी व्यक्ति से उक्त अनियमित व्ययों की वसूली की जाए व अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए।)
14	पैरा 17(ग)	अनिर्णीत

15	पैरा 18(क)	अनिर्णीत
16	पैरा 18(घ)	अनिर्णीत
17	पैरा 18(च)	अनिर्णीत
18	पैरा 21	अनिर्णीत
19	पैरा 24	अनिर्णीत
20	पैरा 26	अनिर्णीत

¼/k½ v|d{k.k i|fro|nu vof/k 3@2001 l| 3@2003 ½&

1	पैरा 5	निर्णीत	(प्रस्तुत उत्तर एवम् अभिलेख की जाचं उपरान्त)
2	पैरा 6	निर्णीत	(प्रस्तुत उत्तर एवम् अभिलेख की जाचं उपरान्त)
3	पैरा 7	निर्णीत	(नवीनतम वित्तीय स्थिति वर्तमान प्रतिवेदन में दर्षाई गई है।)
4	पैरा 8	अनिर्णीत	
5	पैरा 9	निर्णीत	(नवीनतम वित्तीय स्थिति वर्तमान प्रतिवेदन में दर्षाई गई है।)
6	पैरा 10	निर्णीत	(प्रस्तुत उत्तर एवम् अभिलेख की जाचं उपरान्त)
7	पैरा 11	निर्णीत	(प्रस्तुत उत्तर एवम् अभिलेख की जाचं उपरान्त)
8	पैरा 12	निर्णीत	(प्रस्तुत उत्तर के आधार पर)
9	पैरा 13(क,ख)(1,2)	निर्णीत	(प्रस्तुत उत्तर एवम् अभिलेख की जाचं उपरान्त)
10	पैरा 14	निर्णीत	(नवीनतम वित्तीय स्थिति वर्तमान प्रतिवेदन में दर्षाई गई है।)
11	पैरा 15	निर्णीत	(प्रस्तुत उत्तर एवम् अभिलेख की जाचं उपरान्त)

12	पैरा 16	निर्णीत	(प्रस्तुत उत्तर एवम् अभिलेख की जाचं उपरान्त)
13	पैरा 17	निर्णीत	(यह पैरा पुनः प्रारूपित किया गया है)
14	पैरा 18(1,2,3,4)	निर्णीत	(अभिलेख की जांच के उपरान्त)
15	पैरा 19	अनिर्णीत	
16	पैरा 20	निर्णीत	(पास बुकों की जांच/पड़ताल के उपरान्त)
17	पैरा 21	निर्णीत	(प्रस्तुत उत्तर एवं अभिलेख की जांच के उपरान्त)

¼u½ vkd{k.k izfrosnu vof/k 4@2003 ls 3@2006 ½&

1	पैरा 4(क,ख)	निर्णीत	(प्रस्तुत उत्तर एवं अभिलेख की जांच के उपरान्त)
2	पैरा 5	निर्णीत	(प्रस्तुत उत्तर एवं अभिलेख की जांच के उपरान्त)
3	पैरा 6	निर्णीत	(प्रस्तुत उत्तर एवं अभिलेख की जांच के उपरान्त)
4	पैरा 7	निर्णीत	(प्रस्तुत उत्तर एवं अभिलेख की जांच के उपरान्त)
5	पैरा 8	निर्णीत	(यह पैरा पुनः प्रारूपित किया गया है)
6	पैरा 9(क)	निर्णीत	(प्रस्तुत उत्तर एवं अभिलेख की जांच के उपरान्त)
7	पैरा 9(ख)	निर्णीत	(प्रस्तुत उत्तर एवं अभिलेख की जांच के उपरान्त)
8	पैरा 9(ग)	निर्णीत	(प्रस्तुत उत्तर एवं अभिलेख की जांच के उपरान्त)
9	पैरा 9(घ)	निर्णीत	(प्रस्तुत उत्तर एवं अभिलेख की जांच के उपरान्त)
10	पैरा 10	निर्णीत	(प्रस्तुत उत्तर एवं अभिलेख की जांच के उपरान्त)
11	पैरा 11	अनिर्णीत	

12	पैरा 12(क)	निर्णीत	(प्रस्तुत उत्तर एवं अभिलेख की जांच के उपरान्त)
13	पैरा 12(ख)	निर्णीत	(प्रस्तुत उत्तर एवं अभिलेख की जांच के उपरान्त)
14	पैरा 12(ग)	निर्णीत	(प्रस्तुत उत्तर एवं अभिलेख की जांच के उपरान्त)
15	पैरा 12(घ)	निर्णीत	(प्रस्तुत उत्तर एवं अभिलेख की जांच के उपरान्त)
16	पैरा 13	निर्णीत	(प्रस्तुत उत्तर एवं अभिलेख की जांच के उपरान्त)
17	पैरा 14(क)	निर्णीत	(प्रस्तुत उत्तर एवं अभिलेख की जांच के उपरान्त)
18	पैरा 14(ख)	अनिर्णीत	
19	पैरा 15	निर्णीत	(राशि ₹260/–, रसीद संख्या 18751, दिनांक 17.6.10 द्वारा वसूल करके जमा करवा दिए गए।)
20	पैरा 16(क)	अनिर्णीत	
21	पैरा 16(ख)	अनिर्णीत	
22	पैरा 16(ग)	निर्णीत	(प्रस्तुत उत्तर एवं अभिलेख की जांच के उपरान्त)

Hkkx nks

1 orZeku vads{k.k %&

राजकीय महाविद्यालय धर्मषाला के वर्तमान निधि लेखों का अंकेक्षण/जांच परीक्षण (4/2006 से 3/2010), जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिये गए हैं, सर्वश्री विजय कुमार वालिया, (अनुभाग अधिकारी) तथा श्री भवनीश पुरी (आर्टिकल सहायक) द्वारा दिनांक 31.05.2010 से 8.07.2010 तक के दौरान धर्मषाला में किया गया। निम्नलिखित माह 12/06, 11/07, 9/08, व 11/09 आय की तथा माह 11/06, 11/07, 1/09 व 11/09 व्यय की विस्तृत जांच हेतु चयनित किए गए।

इस अंकेक्षण प्रतिवेदन को महाविद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा उपलब्ध करवाई गई सुचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग किसी भी प्रकार की गलत सुचना या जो सूचना प्रदान नहीं की गई है, उसकी जिम्मेवारी लेने से इन्कार करता है। विभाग की जिम्मेवारी केवल विस्तृत जांच हेतु चयनित मासों तक सीमित है।

2 foRrh; fLFkfr :–

राजकीय महाविद्यालय धर्मषाला के निधि लेखेां की अंकेक्षण अवधि से सम्बन्धित वित्तीय स्थिति परिशिष्ट ''क'' पर वर्णित है।

3 vad{k.k 'kYd %&

राजकीय महाविद्यालय धर्मषाला के निधि लेखों का अंकेक्षण शुल्क महाविद्यालय की अंकेक्षण अवधि (4/2006 से 3/2010) के दौरान प्राप्त वार्षिक आय (निधियां + संचायिका) के आधार पर निम्न विवरणानुसार ₹28,000/– बनता है।

o"k	fuf/k;k ls vk;	lpkf;dk ls vk;	dqy ;kx	vad{k.k 'kYd
2006–07	38,29,178.00	83,340.00	39,12,518.00	7,000.00
2007–08	31,91,637.00	72,080.00	32,63,717.00	7,000.00
2008–09	30,80,044.00	70,280.00	31,50,324.00	7,000.00
2009–10	31,50,665.00	72,300.00	32,22,965.00	7,000.00
			dqy ;kx	28]000-00

उपरोक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को राजकीय कोष मे जमा करवाने हेतु महाविद्यालय के प्रधानाचार्य से इसे बैंक ड्राफ्ट द्वारा निदेषक, स्थानीय निधि लेखा हिमाचल प्रदेश षिमला–171009 को भेजने बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 70 दिनांक 22.06.2010 द्वारा अनुरोध किया गया।

4 fuos'k %&

विभिन्न छात्र निधियों से दिनांक 31.03.2010 तक राशि ₹1,39,37,578.00 का निवेश किया गया। जिसका विस्तारपूर्वक विवरण परिशिष्ट ''ख'' I व II पर संलग्न है। इसके अतिरिक्त पुस्तकालय प्रतिभूति निधि से दिनांक 31.03.2010 तक राशि ₹16,31,622 .00 का निवेश किया गया। जिसका विस्तारपूर्वक विवरण निम्न प्रकार से है :–

Ø0 l0	cSd	[kkrk l0	tek dh frfFk	fuosf'kr jkf'k	ifjiDor k frfFk	ifjiDork eY;

1	यूको बैंक धर्मषाला	11510310006467	18.03.10	5,43,874.00	18.03.11	5,80,097.00
2	यूको बैंक धर्मषाला	11510310006832	31.03.10	10,87,748.00	31.03.11	11,60,194.00

5 ikLiSDVlk dh fcØh ls lEcfU/kr jkf'k ₹29]000 de tek djokus ckjs %&

प्रोस्पैक्टस से सम्बन्धित खरीद एवं बिक्री के अभिलेख की जांच पर पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान प्रोस्पैक्टसों की बिक्री से सम्बन्धित राशि ₹29,000 कम जमा करवाये गए जिनका पूर्ण ब्यौरा निम्न प्रकार से है :–

Ø0 l0	o"kZ	ftrus ikLiSDVl Niok;s x,	ftrus ikLiSDVl cps x,	ikLiSDVl fcØh ls ikIr jkf'k	lEcfU/kr fuf/k esa tek jkf'k	de tek jkf'k
1	2006–07	5,000	4,363	1,09,075.00	95,275.00	13,800.00
2	2007–08	4,500	3,952	98,800.00	96,550.00	2,250.00
3	2008–09	4,000	3,600	90,000.00	85,000.00	5,000.00
4	2009–10	3,969	3,600	1,08,000.00	1,00,050.00	7,950.00
					dqy ;ksx	29]000-00

जब यह मामला महाविद्यालय प्रषासन के ध्यान में लाया गया तो राशि ₹29,000 की वसूली चूककर्त्ता से मौके पर कर ली गई, जिसे नीचे दी गइ रसीद संख्याओं द्वारा छात्र निधि लेखे में जमा करवा दी गई :–

Ø0l0	jlhn la[;k	fnukad	jkf'k
1	0018758	17.6.2010	15,000.00
2	0018759	17.6.2010	6,000.00
3	0018762	19.6.2010	625.00
4	0018763	19.6.2010	675.00

5	0018767	22.6.2010	1,275.00
6	0018768	22.6.2010	5,000.00
7	0018769	22.6.2010	425.00
		dy ;kx	29-000-00

अतः यह परामर्ष दिया जाता है कि भविष्य में इस बात का विषेष ध्यान रखा जाए कि प्रोस्पैक्टस से सम्बन्धित बिक्री की पूरी राशि को छात्र निधि खाते में जमा कर दिया गया है ताकि उक्त प्रकार की अनियमितता की पुनरावृति न हो।

6 lk/;dkyhu egkfo|ky; d cpr [kkr dh jkf'k dk gLrkUrfjr dju ckj %&

शिक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्याः ई0डी0एन0ए–का (1–2/97), दिनांक 30.8.2003 मे निहित आदेषानुसार हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा राजकीय (सांध्यकालीन) महाविद्यालय, धर्मषाला को बन्द कर दिया गया है। इस सम्बन्ध में प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय धर्मषाला से अनुरोध है कि सांध्यकालीन महाविद्यालय के बचत खाता संख्या 13743 (के0सी0सी0 बैंक धर्मषाला) में दिनांक 31.3.2010 के अन्तिम शेष राशि ₹4,99,150.00 को हिमाचल प्रदेश सरकार के आवष्यक दिषा निर्देश प्राप्त करके राजकीय महाविद्यालय धर्मषाला की छात्र निधियों में हस्तान्तरित किया जाना सुनिष्चित किया जाए। अन्यथा जब तक हिमाचल प्रदेश सरकार से जरूरी आदेश प्राप्त नहीं होते है तो इस राशि को सावधि जमा में निवेश किया जाए ताकि अधिक ब्याज प्राप्त किया जा सके व अनुपालना आगामी अंकेक्षण मे दिखाई जाए।

7 Quhpj fji;j fuf/k d :i e jkf'k ₹3]180@& dh de olyh ckj %&

छात्र निधियों की प्राप्तियों की जांच पर पाया गया कि वर्ष 2006–07 में महाविद्यालय में 4,167 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया, जबकि केवल 3849 विद्यार्थियों से ही 10/–रुपये प्रति छात्र की दर से फर्नीचर रिपेयर निधि की वसूली की गई। अतः शेष 318 विद्यार्थियों से फर्नीचर रिपेयर निधि की वसूली नहीं की गई। वसूली योग्य राशि का विवरण निम्नलिखित है :–

o"k	fo|kfFk;k dh l[;k ftul Quhpj fji;j fuf/k ugh olyh xbZ	nj ¼izfr o"k½	olyh ;kX; jkf'k
2006–07	318	10/–	3,180.00

dqy ;kx	3]180-00

जब यह मामला महाविद्यालय प्रषासन के ध्यान मे लाया गया तो राशि ₹2,930 रसीद संख्या 0018757 दिनांक 16.6.10 द्वारा चूककर्त्ता से वसूल करके छात्र निधि खाते में जमा करवा दिए गए जिसकी प्रविष्टि कर ली गई है। अतः परामर्ष दिया जाता है कि भविष्य में इस प्रकार की चूक न दोहराई जाए, अन्यथा दुर्विनियोजन की संदिग्धता बनी रहेगी, जो संस्था के हित में नहीं है। अतः शेष राशि ₹250 की वसूली चूककर्त्ता से शीघ्र कर छात्र निधि खाते में जमा करवाना सुनिष्चित किया जाए व अनुपालना की जांच करवाना सुनिष्चित किया जाए व अनुपालना की जांच आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाई जाए।

8 f'k{kk 'kYd d : i e jkf'k ₹600 dh de olyh djus ckj %&

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि वर्ष 2007–08 में बी0ए0 द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों पंकज मनकोटिया, रोल नम्बर 4043 तथा अजय कुमार रोल नम्बर 3976 से 6 माह का शिक्षा शुल्क वसूल नही किया गया है। वसूली योग्य राशि का विवरण निम्न प्रकार से है :–

Ø0 l0	fo|kFkh;k dh l[;k	nj ¼ifrekg½	ekg	jkf'k
1	2	50/–	6	600.00
			dqy ;kx	600-00

उपरोक्त विद्यार्थियों से शिक्षा शुल्क वसूल न करने का कारण स्पष्ट करते हुए अविलम्ब इसकी वसूली सम्बन्धित चूककर्त्ता कर्मचाारी से करके सरकारी खजाने में जमा करवाना सुनिष्चित किया जाए व अनुपालना की जांच आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाई जाए।

9 f'k{kk 'kYd d : i e iklr jkf'k ₹450 dk ljdkjh [ktku e tek u djokus ckj %&

लेखा परीक्षण के दौरान पाया गया कि दिनांक 05.09.08 को अनीश कुमार रोल नम्बर 724 से शिक्षा शुल्क के रूप में ₹450 वसूल किए गए। परन्तु उपरोक्त राशि को सरकारी खजाने मे जमा नहीं करवाया गया तथा उक्त राशि की तुरन्त सम्बन्धित चूककर्त्ता/कर्मचारी से वसूली करके सरकारी खजाने मे जमा करवाना सुनिष्चित किया जाए व अनुपालना से यथासमय इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

10 tUrq foKku fuf/k d : i e jkf'k ₹156 dh de olyh ckj %&

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि वर्ष 2007–08 में बी0एस0सी0(मैडिकल) प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों संतोष सिंह रोल नम्बर 318 व मीनाक्षी चौहान रोल नम्बर 355 से दिनांक 29.11.2007 को अन्य निधियों के साथ 6 माह की जन्तु विज्ञान निधि की वसूली नहीं की गई। वसूली योग्य राशि का विवरण निम्न प्रकार से है :–

Ø0 l0	fo|kfFk;k dh l[;k	nj ¼ifrekg½	ekg	jkf'k
1	2	13/–	6	156.00
			d|y ;kx	156-00

उपरोक्त विद्यार्थियों से जन्तु विज्ञान निधि वसूल न करने का कारण स्पष्ट करते हुए अविलम्ब इसकी वसूली सम्बन्धित चूककर्त्ता/कर्मचारी से करके सम्बन्धित निधि मे जमा करवाना सुनिष्चित किया जाए व अनुपालना की जांच आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाई जाए।

11 fuf/k;k d: :i e: jkf'k ₹120 dh de olyh ckj: %&

छात्र निधियों की प्राप्तियों की जांच पर पाया गया कि वर्ष 2008–09 में शरद कुमार रोल नम्बर 4607 से रसीद संख्या 11947 व 6580 द्वारा राशि ₹1,426 निधियों व फीस के रूप में वसूल किए गए, परन्तु उक्त विद्यार्थी से राशि ₹1,546 वसूल किए जाने अपेक्षित थे। इस प्रकार राशि ₹120 उक्त विद्यार्थी से कम वसूल किये गए। जब यह मामला महाविद्यालय प्रषासन के ध्यान में लाया गया तो राशि ₹120 रसीद संख्या 0018756 दिनांक 16.06.2010 द्वारा चूककर्त्ता से वसूल करके छात्र निधि खाते में जमा करवा दिए गए। जिसकी पुष्टि कर ली गई है।

12 tekuk fuf/k d: :i e: ikIr jkf'k ₹63@& dk tek u djokuk ckj: %&

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि कक्षा बी0ए0 प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों से नीचे दिये विवरण अनुसार जुर्माना निधि के रूप में प्राप्त राशि ₹63/– को सम्बन्धित निधि में जमा नहीं करवाया गया :–

Ø0 l0	fnukd	uke	jlhn l[;k	tekuk fuf/k d: :i e: ikIr jkf'k	tekuk fuf/k e: tek dh xbl jkf'k	tekuk fuf/k e: tek u dh xbl jkf'k
1	13.11.07	मीनू	2449	51.00	21.00	30.00
2	14.11.07	विवेक	3741	14.00	11.00	3.00

3	15.11.07	सुरेन्द्र	3761	25.00	5.00	20.00
4	15.11.07	प्रियंका	3814	44.00	34.00	10.00
					dqy ;ksx	63-00

उपरोक्त राशि को जुर्माना निधि में जमा न करवाने का कारण स्पष्ट करते हुए अविलम्ब इसकी वसूली चूककर्त्ता से करके सम्बन्धित निधि में जमा करवाना सुनिष्चित किया जाए व अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए।

13 lkLd`frd xfrfof/k fuf/k dk :i esa jkf'k ₹50@& dh de olwyh ckjs %&

छात्र निधियों की प्राप्तियों की जांच पर पाया गया कि वर्ष 2009–10 में महाविद्यालय मे 3571 विद्याथियों ने प्रवेश लिया जबकि केवल 3566 विद्यार्थियों से ही 10/– प्रति छात्र की दर से सांस्कृतिक गतिविधि निधि की वसूली की गई। अतः शेष 5 विद्यार्थियों से 10/–प्रतिछात्र की दर से राशि ₹50/–सांस्कृतिक गतिविधि निधि के रूप में वसूल नहीं किए गए। अतः उपरोक्त राशि की वसूली न करने का कारण स्पष्ट करते हुए अविलम्ब इसकी वसूली चूककर्त्ता से कर सम्बन्धित छात्र निधि खाते में जमा करवाना सुनिष्चित किया जाए व अनुपालना की जांच आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाई जाए।

¼d½ QuhZpj fjis;j fuf/k dk :i esa izkIr jkf'k ₹18]920 dk jkoj ,.M jsUtj fuf/k esa tek djokus ckjs %&

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि वर्ष 2006–07 में माह 11/06 में राशि ₹18,920 विद्यार्थियों से फर्नीचर रिपेयर निधि के रूप में प्राप्त किए गए, परन्तु फर्नीचर रिपेयर निधि से सम्बन्धित राशि ₹18,920 को माह 11/06 में रोवर एंड रेन्जर निधि में जमा करवा दिया गया जोकि उचित प्रतीत नहीं होता। अतः उपरोक्त राशि को रोवर एंड रेन्जर निधि में जमा करवाने का कारण स्पष्ट करते हुए अविलम्ब ₹18,920 की राशि को फर्नीचर रिपेयर निधि में जमा करवाना सुनिष्चित किया जाए व अनुपालना से यथासमय इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

fefJr fuf/k %&

14 okÅpj la[;k 54 ekg 11@2006 jkf'k ₹61]583-00 %&

राशि ₹61,583.00 का भुगतान अधिषाषी अभियन्ता, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग मण्डल धर्मषाला को चैक संख्या 391025 दिनांक 16.11.06 द्वारा उनके अनुभाग आंकलन पत्र संख्या/IPHD/DB/ESTIMATE/2006-12745, दिनांक 18.10.06 के लिये निम्नलिखित निर्माण कार्य करवाने हेतु मिश्रित निधि से किया गया है "Providing water facility, carring jointing of G.T.Pipe 20mm and

construction of platform for 2000 Ltr’s capacity storage in Girls Hostel of Govt Degree College Dharamsala” उपरोक्त भुगतान के सम्बन्ध में निम्नलिखित आपत्तियां प्रकाश में आई हैं, जिन्हें शीघ्र निपटाया जाए।

(i) उपरोक्त भुगतान मिश्रित निधि से किया गया है जबकि मिश्रित निधि में उपरोक्त खर्चे का कोई प्रावधान नहीं है। यह खर्चा भवन निर्माण निधि या छात्रावास निधि से किया जाना चाहिए था। अतः उपरोक्त राशि की प्रतिपूर्ती उचित माध्यम/स्त्रोत से करके मिश्रित निधि में वापिस जमा करवाई जाए और अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए।

(ii) उपरोक्त धन राशि चूंकि अधिषाषी अभियन्ता आई0पी0एच मण्डल धर्मषाला को अग्रिम धन के रूप में जमा करवाई गई है तो क्या यह राशि वास्तव में उपरोक्त विभाग द्वारा सम्बन्धित कार्य पर खर्च की गई है या नहीं इससे सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र भी उपरोक्त विभाग से प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण में दिखाया जाए और अगर अभी तक निर्माण कार्य आई0पी0एच विभाग द्वारा पूरा नहीं किया गया है तो इस राशि को शीघ्र वापिस प्राप्त करके मिश्रित निधि में जमा करवाया जाए।

15 okÅpj la[;k 78] ekg 11@2006] jkf'k ₹14]217-00 ¼&

राशि ₹14,217.00 का भुगतान मैसर्ज क्रिएटिव इन्डस्ट्रीज पालमपुर को उनके बिल संख्या 563, दिनांक 17.11.2006 के लिए निम्नलिखित सामान की आपूर्ति हेतु किया गया है :—

Ø0 la0	lkeku dk C;kSjk	ek=k	nj	jkf'k
1	Momentos Lite hand Brass (Big)	50	160/—	8,000.00
2	Momentos Lite hand Brass (Medium)	47	110/—	5,170.00
3	Shema Brass (Big)	2	250/—	500.00
				13]670-00
			Vat 4%	546-80
			dqy ;ksx	14]216-80

उपरोक्त सामान की खरीद न्यूनतम दर वाली उपरोक्त फर्म से कोटेषन के आधार पर की गई है। कोटेषन की जांच पड़ताल पर पाया गया कि मैसर्ज क्रिएटिव इन्डस्ट्रीज पालमपुर द्वारा जब अपनी भाव दरें

उपरोक्त सामान की आपूर्ति हेतु दी गई तो उनमें किसी भी प्रकार के बिक्री कर या वैट की अतिरिक्त वसूली की शर्त नहीं बताई गई थी। परन्तु जब बिल दिया गया तो उसमें वैट भी दर्ज था, जोकि कोटेषन में न होने के कारण देय नही है। अतः वैट के रूप में किये गए भुगतान राशि ₹547.00 का औचित्य स्पष्ट किया जाए, अन्यथा इसकी वसूली उपरोक्त फर्म या चूककर्त्ता से करके मिश्रित निधि में जमा करवाना सुनिष्चित किया जाए व अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए।

16 <u>okÅpj l[;k 28 ekg 11@2007 jkf'k ₹5]000-00</u> ¼&

राशि ₹5,000.00 का भुगतान श्री उतम चन्द को अग्रिम धन के रूप में वाऊचर संख्या 66, माह 12/2001 में पठानकोट में फॉक डांस प्रतियोगिता में 20 छात्र/छात्राओं के भाग लेने पर होने वाले खर्चे को वहन करने के लिए किया गया। उक्त अग्रिम धन का समायोजन 6 वर्ष बाद माह 11/2007 में करवाया गया, जिसकी जांच पर निम्नलिखित आपत्तियां दर्ज की गई जिनका शीघ्र निपटारा किया जाए व अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए।

(i) अग्रिम धन का समायोजन नियमानुसार प्रतियोगिता समाप्त होने के तुरन्त पष्चात करवाया जाना चाहिए था। अतः 6 वर्ष तक अग्रिम धन का समायोजन न करवाने बारे ठोस तथ्यों सहित स्थिति स्पष्ट की जाए।

(ii) फॉक डांस में भाग लेने के लिए छात्रों को राशि ₹1,200.00 का भुगतान सिर्फ 2 दिन के दैनिक भत्ते के रूप में किया गया जबकि छात्रों के साथ भाग लेने गये प्रवक्ता श्री बलविन्द्र सिंह राणा द्वारा अपना यात्रा प्रतिपूर्ति दावा दिनांक 20.12.2001 से 25.12.2001 तक का (अर्थात 6 दिन) पारित करवाया गया। अगर प्रतियोगिता सिर्फ 2 दिन तक चली तो पठानकोट में 6 दिन का ठहराव उचित प्रतीत नहीं होता। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए, अन्यथा प्रवक्ता को दिया गया दैनिक भत्ता वसूल करके मिश्रित निधि में जमा करवाना सुनिष्चित किया जाए।

(iii) प्रतियोगिता में भाग लेने गए छात्रों को 6 दिन के लिए 5/—रुपये प्रति छात्र प्रतिदिन के हिसाब से ₹600 का भुगतान कैन्टीन ठेकेदार धर्मषाला को उनके बिल संख्या शून्य दिनांक 19.12.2001 के लिए छात्रों को रिफ्रैषमेन्ट उपलब्ध करवाने के लिए किया गया। जब प्रतियोगिता पठानकोट मे आयोजित हुई तो रिफ्रैषमेन्ट का बिल धर्मषाला कैन्टीन से प्राप्त करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए। अगर उपरोक्त भुगतान फर्जी/संदिग्ध पाया जाता है तो चूककर्त्ता से इसकी वसूली करके मिश्रित निधि में जमा करवाना सुनिष्चित किया जाए।

(iv) छात्रों को धर्मषाला से पठानकोट लाने व ले जाने के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम से 50 प्रतिषत किराया छूट की सुविध ली गई थी। हिमाचल पथ परिवहन निगम की रसीद संख्या 11788 दिनांक

20.12.2001 की जांच पर पाया गया कि उसमें धर्मषाला से पठानकोट के लिए यात्रा की तिथि 20.12.2001 और वापसी दिनांक 24.12.2001 को दिखाई गई है, जबकि प्रवक्ता द्वारा प्रस्तुत टी0ए0 बिल में वापसी की तारीख 25.12.2001 दिखाई गई हैं। अतः यह स्पष्ट किया जाए कि छात्रों की वापसी वास्तव में कौन सी तारीख को हुई है और वापसी में प्रवक्ता उनके साथ आये या छात्र अकेले ही वापिस आये। नियमानुसार प्रवक्ता को छात्रों के साथ वापिस आना चाहिए था। अतः वस्तुस्थिति से इस विभाग को अवगत करवाया जाए और प्रवक्ता को अधिक भुगतान की गई दैनिक भत्ते की राशि की वसूली की जाए।

17 okÅpj l[;k 15] fnukd 6-10-2007] jkf'k ₹850-00 %&

राशि ₹850.00 का भुगतान मैं0 विनोद कुमार, कैन्टीन ठेकेदार को 85 व्यक्तियों के लिए रिफ्रैषमेन्ट (10/–रूपये प्रति व्यक्ति) हेतु किया गया। अभिलेख की जांच पर पाया गया कि Gust Teaching or Non-Teaching Staff को महाविद्यालय में दिनांक 6.10.2007 को आयोजित Inter College Basketball (Women) Championship's closing Ceremony पर यह रिफ्रैषमेन्ट प्रदान की गई जोकि उचित प्रतीत नहीं होता क्योंकि नियमानुसार रिफ्रैषमेन्ट का भुगतान टोरनामेन्ट में भाग लेने वाले खिलाडियों को ही किया जाना चाहिए। अतः राशि ₹850.00 के भुगतान को नियमानुसार उचित ठहराया जाए, अन्यथा चूककर्त्ता से इसकी वसूली की जानी सुनिष्चित की जाए या सक्षम प्राधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके इसका नियमानुकूलन किया जाए।

18 okÅpj l[;k 16] fnukd 5-10-2007] jkf'k ₹1]310-00 %&

राशि ₹1,310.00 का भुगतान मैं0 विनोद कुमार कैन्टीन ठेकेदार को 131 व्यक्तियों के लिए रिफ्रैषमेन्ट (10/–रूपये प्रति व्यक्ति) हेतु किया गया। अभिलेख की जांच पर पाया गया कि Gust Teaching or Non-Teaching Staff को महाविद्यालय में दिनांक 5.10.2007 को आयोजित Inter College Basketball (Women) Championship's closing Ceremony पर यह रिफ्रैषमेन्ट प्रदान की गई जोकि उचित प्रतीत नहीं होता, क्योंकि नियमानुसार रिफ्रैषमेन्ट का भुगतान टूरनामेन्ट में भाग लेने वाले खिलाडियों को ही किया जाना अपेक्षित था। अतः राशि ₹1,310.00 के भुगतान को नियमानुसार उचित ठहराया जाए अन्यथा चूककर्त्ता से इसकी वसूली की जानी सुनिष्चित की जाए।

19 okÅpj l[;k 38] ekg 11@2007] jkf'k ₹2]500-00 %&

राशि ₹2,500 का भुगतान अग्रिम धन के रूप में श्री आर0पी0 पाण्डे को फुटबाल की Inter College Championship जोकि राजकीय महाविद्यालय धर्मषाला में दिनांक 27.10.07 से 31.10.2007 के बीच सम्पन्न हुई का खर्च वहन करने के लिए किया गया था। समायोजन वाऊचर की जांच पर पाया गया कि उपरोक्त अग्रिम धन राशि से सिर्फ राशि ₹1,890.00 का खर्चा किया गया ओर ₹510.00 की राशि रसीद संख्या 2987,

दिनांक 22.11.2007 को जमा करवा दी गई। वास्तव में बची हुई राशि ₹610.00 बनती थी। इस प्रकार ₹100.00 कम जमा करवाये गए। जब यह मामला सम्बन्धित अधिकारी के ध्यान में लाया गया तो उन्होंने अंकेक्षण के दौरान रसीद संख्या 18750 दिनांक 7.5.2010 द्वारा ₹100.00 की राशि मिश्रित निधि में जमा करवा दी, जिसकी पुष्टि कर ली गई है।

dEil fMoyieUV fuf/k

20 okÅpj l[;k 17] ekg 11@2007] jkf'k ₹12]723-00 ¼&

राशि ₹12,723.00 का भुगतान मैं0 रनेश गुलेरिया (Govt Contractor and Supplier 237-Lower Shyam Nagar Dharamsala) को उनके कैश मैमों संख्या 30, दिनांक 23.10.2007 के लिए निम्नलिखित सामान की आपूर्ति हेतु किया गया :–

Ø0 l0	lkeku dk C;kjk	ek=k	nj	jkf'k
1	4mm Glass	280.35 Sq.ft	27/–	7,566.75
2	Putte	60.00 Kg	25/–	1,500.00
3	Fixing Charges@8/-per Square feet			2,242.00
				11]308-75
			Vat 12-5%	1]414-00
			d|y ;kx	12]722-75

उपरोक्त भुगतान से समबिन्धत अभिलेख की जांच पर निम्नलिखित आपत्तियां दर्ज की गई जिनका पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए।

(i) सामान की खरीद न्यूनतम दर वाली फर्म से कोटेषन के आधार पर की गई। कुल तीन फर्मों ने अपनी दरें उपलब्ध करवाई और मैं0 रनेश गुलेरिया ठेकेदार की न्यूनतम दरों के आधार पर उसे सामान की आपूर्ति का आदेश दिया गया। कोटेषन की जांच पर पाया गया कि मैं0 रनेश गुलेरिया द्वारा अपनी कोटेषन में बिक्री कर (वैट) लेने सम्बन्धी कोई भी शर्त नहीं बताई गई थी। अतः बिक्री कर के रूप में भुगतान की गई राशि ₹1,414.00 उचित प्रतीत नहीं होती। इसके अतिरिक्त फिक्सिंग चार्जर पर बिक्री कर लागू नहीं होता है। अतः अधिक भुगतान की गई राशि ₹1,414.00 की वसूली सम्बन्धित फर्म या चूककर्त्ता से करके कैम्पस डिवलपमेन्ट निधि में जमा करवाना सुनिष्चित की जाए और अनुपालना आगामी अंकेक्षण मे दिखाई जाए।

(ii) उपरोक्त सामान की खरीद Table Tennis Hall, NSS Room, Music & Fine Arts Deptt. के टूटे हुए खिड़कियों के शीषे लगवाने के लिए कैम्पस डिवलपमैन्ट निधि से की गई है जोकि उचित प्रतीत नहीं होता। क्यांकि कैम्पस डिवलपमैन्ट निधि का उपयोग फर्नीचर रिपेयर के लिए ही किया जा सकता है और यह खर्चा भवन निर्माण निधि से किया जाना चाहिए था। अतः कैम्पस डिवलपमैन्ट निधि से उपरोक्त खर्चे को उचित ठहराया जाए, अन्यथा इसकी प्रतिपूर्ति भवन निर्माण निधि से करके कैम्पस डिवलपमैन्ट निधि में जमा करवाना सुनिष्चित किया जाए व अनुपालना की जांच आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाई जाए।

t|ekuk fuf/k

21 okÅpj l[;k 37] ekg 1@2009] jkf'k ₹3]06]155-00] rFkk okÅpj l[;k 38] ekg 1@2009] jkf'k ₹1]85]952-00 ¼&

राशि ₹4,92,197.00 का भुगतान फर्नीचर फैक्टरी बिलासपुर को उनके बिल संख्या 7265 दिनांक 30.11.08 राशि ₹3,06,155.00 ओर बिल संख्या 7266 दिनांक 30.11.08 राशि ₹1,85,952.00 के लिए ड्राफ्ट संख्या 236785, दिनांक 17.1.09 द्वारा किया गया। उपरोक्त बिल के अनुसार निम्नलिखित कार्य जुर्माना निधि से राजकीय महाविद्यालय धर्मषाला के बास्केटबॉल परिसर मे करवाया गया है :—

(i) "Providing & fixing fencing in Basket Ball Sports complex made of Angle iron and 800 Jali in Blocks with the size 5x2½ meters"-41 No's @₹7180+VAT@4% Total ₹3,06,155 only".

(ii) "Providing & Fixing Rain Shelters 40'x10' in front fo Library building made of iron structure roof CGI Sheets and ceiling of AC Sheets"-One No@₹1,78,800+VAT4% Total ₹1,85,952 only".

उपरोक्त भुगतान से सम्बन्धित निम्नलिखित आपत्तियां दर्ज की जाती हैं, जिनका शीघ्र निपटारा किया जाए :—

(i) उपरोक्त भुगतान महाविद्यालय के जुर्माना निधि से किया गया है जोकि जुर्माना निधि पर उचित प्रभार प्रतीत नहीं होता। यह खर्च भवन निमार्ण निधि से किया जाना चाहिए था। अतः इस राशि की प्रतिपूर्ति भवन निर्माण निधि से करके जुर्माना निधि में जमा करवाई जाए व अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए।

(ii) उपरोक्त दोनों बिलों को बरसर और प्रधानाचार्य से पारित नहीं करवाया गया है जिस बारे कारण स्पष्ट किया जाए और आवष्यक कार्यवाही करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए।

(iii) राशि ₹3,06,314.00 को खर्च करने की स्वीकृति निदेषक, उच्च शिक्षा षिमला कार्यालय आदेश संख्या ई0डी0एन—एच(9)1—बी0एफ(सी0पी0एफ)2004—पार्ट—1 दिनांक 23.1.2009 द्वारा प्रदान की गई है, जिसमें लिखा है कि यह खर्च महाविद्यालय के भवन निर्माण निधि से वहन किया जाए, परन्तु अंकेक्षण अवधि तक उपरोक्त

राशि को भवन निर्माण निधि से निकालकर जुर्माना निधि मे वापिस जमा नहीं करवाया गया है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए और आवष्यक कार्यवाही तुरन्त अमल में लाई जाए व अनुपालना की जाए आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाई जाए।

(iv) राशि ₹1,85,952.00 को खर्च करने की कार्योत्तर स्वीकृति निदेषक उच्च शिक्षा से प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए तथा उपरोक्त राशि को भवन निर्माण निधि से निकालकर जुर्माना निधि मे वापिस जमा करवाना भी सुनिष्चित किया जाए।

22 okÅpj la[;k 16 ekg 11@2009 jkf'k ₹22]016-00 %&

राशि ₹22,016.00 का भुगतान मैसर्ज कमला इन्टरप्राईज़ज दाड़ी रोड धर्मषाला को उनके बिल संख्या 694 दिनांक 23.10.2009 के लिए निम्नलिखित सामान की आपूर्ति हेतु किया गया है, जिसमे निम्न आपतियां पाई गई जिनका तुरन्त निपटारा किया जाए।

Ø0 la0	lkeku dk C;kjk	ek=k	nj	jkf'k
1	CGI Sheets 12’	8	1,080/–	8,640.00
2	Channel 75x40cm	385.50 Kg	32.50/–(Per Kg)	12,529.00
				21]169-00
			Vat @4%	847-00
			dqy ;ksx	22]016-00

(i) उपरोक्त भुगतान प्रधानाचार्य द्वारा छात्रावास निधि से स्वीकृत किया गया था। वास्तव में उपरोक्त भुगतान जुर्माना निधि से आहरित किया गया। उपरोक्त भुगतान जुर्माना निधि पर उचित प्रभार नहीं है जिस बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए, अन्यथा इस राशि को छात्रावास निधि से निकालकर जुर्माना निधि में जमा करवाया जाए।

(ii) उपरोक्त सामान की खरीद न्यूनतम बाजार भाव पर तीन फर्मों से कोटेषन मंगवाकर की गई है। कोटेषन की जांच पर पाया गया कि किसी भी फर्म द्वारा अंकित दरों पर बिक्रीकर (वैट) की अतिरिक्त वसूली की शर्त नहीं लगाई गई थी। अतः मैसर्ज कमला इन्टरप्राईज़ज को वैट के रूप में भुगतान की गई राशि ₹847.00 बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए, अन्यथा इसकी वसूली उक्त फर्म या चूककर्त्ता से करके सम्बन्धित निधि में जमा करवाई जाए। भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता से निष्चित तौर पर परिहार किया जाए।

23 okÅpj la[;k 7 ls 12] ekg 11@2009] jkf'k ₹21]364-00 %&

राशि ₹21,364.00 का भुगतान जुर्माना निधि से दिनांक 8.8.2009 से 7.9.2009 के दौरान महाविद्यालय के भवन में रंगाई का कार्य करवाने हेतु निम्नलिखित पैन्टर को मजदूरी के रूप में किया गया।

ok0 l0	iUVj dk uke	dy fnu	nfud etnjh	dy jkf'k
7	लाल सिंह	28	140/—	3,920.00
8	स्वर्ण सिंह	25	140/—	3,500.00
9	बॉबी कुमार	28	121/—	3,388.00
10	अच्छर सिंह	27	140/—	3,780.00
11	कर्म चन्द	28	121/—	3,388.00
12	रतन चन्द	28	121/—	3,388.00
			dy ;kx	21]364-00

उपरोक्त भुगतान से सम्बन्धित पैन्टर के मसटर रोल (हाजरी) के अतिरिक्त कोई अन्य दस्तावेज अभिलेख में उपलब्ध नहीं है जिससे यह पता चल सके कि वास्तव में इन पैन्टरों ने राशि ₹21,364.00 का कार्य किया है। इनकी वर्क्स प्रोग्रैस को तकनीकी कर्मचारी/अधिकारी से सत्यापित करवाया जाना चाहिए था जैसा कि पी0डब्ल्यू0डी0 शडयूल ऑफ रेट में बताया गया है। अतः उपरोक्त भुगतान को उचित नहीं ठहराया जा सकता जिसका पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इस भुगतान के समर्थन में पूरा विवरण आगामी अंकेक्षण मे बताया जाए कि इनके द्वारा कितने क्षेत्रफल में रंगाई का कार्य किया गया था। भविष्य में प्रावधानानुसार निष्पादन करवाया जाए।

इसके अतिरिक्त जुर्माना निधि से इस प्रकार के खर्चे का कोई प्रावधान नही है। यह खर्च भवन निर्माण निधि से वहन किया जाना चाहिए था। अतः अब इस राशि की प्रतिपूर्ति भवन निर्माण निधि से करके जुर्माना निधि में जमा करवाना सुनिष्चित किया जाए व अनुपालना आगामी अंकेक्षण मे दिखाई जाए।

, l0 lh0,0 fuf/k

24 , l0 lh0,0 fuf/k dh oly h d lEcU/k e %&

महाविद्यालय से सम्बन्धित छात्र निधियों की प्राप्तियों की जांच पर पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा छात्रों से प्रति छात्र प्रतिवर्ष 10/— रुपये एस0सी0ए0 निधि के रूप में वसूल किए जा रहे हैं। जबकि हिमाचल प्रदेश सरकार के निदेषक, उच्च शिक्षा के पत्र संख्या ई0डी0एन0—एच(21)ए(3)20/2010—वी दिनांक 03.06.2010 अनुसार एस0सी0ए0 निधि की वसूली का कोई प्रावधान नहीं है। अतः छात्रों से एस0सी0ए0 निधि की वसूली बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए और अगर इसकी वसूली अनाधिकृत रूप से की जा रही है तो

इसकी वसूली तुरन्त प्रभाव से बन्द की जाए। दिनांक 31.03.2010 को राजकीय महाविद्यालय धर्मषाला के छात्र निधि खातों की रोकड़ बही में एस0सी0ए0 निधि में राशि ₹1,07,978.70 का अन्तषेष है ओर इस निधि के खाते में पड़ी अन्तषेष की राशि को सरकार/निदेषक से आवष्यक स्वीकृति प्राप्त करके अन्य किसी निधि में हस्तांतरित किया जाए व अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए।

25 jkoj ,M jsUtj ds :i esa izkIr jkf'k ₹1]45]520-00 dk tek u djokuk ckjs %&

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा वर्ष 10/2007 से 3/2010 तक की रोकड़ बही तैयार नहीं की गई है एवं रोवर एंड रेन्जर निधि के रूप में प्राप्त राशि ₹1,45,520.00 को सम्बन्धित निधि में जमा नहीं करवाया गया। वर्ष 2008–09 व 2009–10 में उपरोक्त निधि से सम्बन्धित प्राप्तियों की गणना विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर की गई है। अतः उपरोक्त राशि ₹1,45,520.00 को सम्बन्धित निधि में जमा न करवाने का कारण स्पष्ट करते हुए अविलम्ब इसकी वसूली चूककर्त्ता से करके सम्बन्धित निधि में जमा करवाना सुनिष्चित किया जाए व अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए।

26 Nk= fuf/k;ksa ls izkIr jkf'k ls vf/kd [kpZ djus ckjs %&

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि वर्ष 2007–08, 2008–09 व 2009–10 में क्रमशः राशि ₹6,89,645.36, ₹22,33,247, व ₹6,85,652.00 विद्यार्थियों से विभिन्न निधियों के रूप में प्राप्त आय से अधिक खर्च किए गए जोकि तर्क संगत प्रतीत नहीं होता है। महाविद्यालय प्रषासन द्वारा गत तीन वर्षों में छात्रों से कुल प्राप्त निधियों से छात्रों को उपलब्ध करवाई गई सुविधाओं पर कुल ₹36,08,544.36 की राषि अधिक खर्च की गई है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि छात्र निधियों की पूर्व में संचित राशि का बेवजह उपभोग किया गया। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि जहां तक मुमकिन हो सके छात्र निधियों की कुल प्राप्त राशि तक ही खर्च को नियन्त्रित रखा जाए अन्यथा एक अवस्था में संस्था Deficit में चली जाएगी, जो संस्था के हित में नहीं है।

27 fuf/k;ksa ds LVkd jftLVjksa dh HkkSfrd IR;kiuk ds lEcU/k esa %&

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि भण्डार रजिस्टरो में पड़ी हुई वस्तुओं का महाविद्यालय प्रषासन द्वारा भौतिक सत्यापन नहीं करवाया जा रहा है। नियमानुसार प्रत्येक वर्ष कमेटी गठित करके भण्डार में पड़ी सभी वस्तुओं का भौतिक सत्यापन किया जाना जरूरी है। अतः भविष्य में प्रत्येक वर्ष भण्डार में पड़ी वस्तुओं का भौतिक सत्यापन किया जाना सुनिष्चित किया जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

28- y?kq vkifr foojf.kdk %& यह अलग से जारी नही की गई है।

29- <u>fu"d"k</u> ¼& महाविद्यालय के लेखाओं की स्थिति चिन्ताजनक है और इनमें अत्यधिक सुधार की आवष्यकता है। कई प्रकरणों में छात्रों से वसूली गई निधियों/षुल्क को समय पर जमा नहीं किया गया है। अपितु अंकेक्षण के दौरान ही मामले प्रकाश में आने पर राशि जमा की गई है, जैसे कि पैरा 5,7,9 व 12 से तवरित है। अतः संस्थाध्यक्ष से आग्रह है कि वह संस्था की कार्यप्रणाली में सुधार हेतु आवष्यक प्रभावी पग उठाए।

उप निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेष,षिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्या :11(2)207(वित्त)(ले0प0)–खण्ड–9, दिनांक, षिमला–171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है

i:thd'r 1. प्रधानाचार्य, राजकीय महाविद्यालय धर्मषाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेष को इस आषय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को षीघ्र भेजें ।

2. निदेषक, (सकैन्डरी शिक्षा) हिमाचल प्रदेश षिमला–171001.

उप निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेष,षिमला–171009.

¼vuq i dekj½